उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि.,

UTTARI RAJASTHAN SAHAKARI DUGDH UTPADAK SANGH LIMITED

श्रीगंगानगर रोड़, बीकानेर

(An ISO 22000 :2018 Certified Organisation)

क्रमांकः उरमूल / पीएण्डआई(दु.प.मा. निविदा) / 2023–24 / 12157–70 दिनांकः 15/02/24

सिविल पिकअप दुग्ध परिवहन हेतु ई–निविदा सूचना

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर में सिविल पिकअप दुग्ध परिवहन कार्य हेतु दो वर्ष के लिए टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत डिजिटल ई–टेण्डर के माध्यम से ऑन–लाईन दरें वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है।

निविदा दिनांक 04.03.2024 को दोपहर 2.00 बजे खोली जावेगी। निविदा शुल्क, ईएमडी, आरआईएसएल फीस एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट www.bikaner.sarasmilkunions.in http://sppp.rajasthan.gov.in व bikmu-rj@nic.in व संघ कार्यालय, बीकानेर में उपलब्ध है। किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्णरूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक को होगा।

क्र. सं.	नाम इकाई	कार्य का विवरण मार्ग संख्या (दुग्ध परिवहन कार्य)	कुल मार्ग	निविदा अनुमानित लागत (प्रति वर्ष)	डी.डी. जमा करवाने की दिनांक	अमानत राशि	निविदा शुल्क	आरआईएसएल प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा अपलोड की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	बीकानेर	1, 1बी(9), 2ए, 3, 3बी(13) 4बी, 5बी, 10, 14, 15	10	7.5 लाख रू प्रति मार्ग	दिनांक 19.02.24 प्रातः 11.00 बजे से 04.03.24 दोपहर 01.00 बजे तक	30,000 / – प्रत्येक मार्ग के लिए	500 / – प्रत्येक मार्ग के लिए	500 / – प्रत्येक मार्ग के लिए	दिनांक 17.02.24 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 04.03.24 प्रातः 11.00 बजे तक	दिनांक 04.03.24 को दोपहर 2.00 बजे
2	खाजूवाला	32ए, 32बी, 52ए, 55	4							
3	लूणकरनसर	24, 41ए, 36बी	3							
4	बज्जू	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41बी, 42, 43, 44, 45बी, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52सी, 53	19							
5	छतरगढ	11ए, 29ए, 29बी, 31, 31बी 33, 52बी	7							

अमानत राशि व निविदा शुल्क का डी.डी. "उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बीकानेर" (UTTARI RAJASTHAN SHAKARI DUGDH UTPADAK SANGH LIMITED, BIKANER) के नाम से तथा RISL प्रोसेसिंग शुल्क का डी.डी. MD, RISL, JAIPUR के नाम से प्रत्येक मार्ग हेतु अलग–अलग जमा करवाना होगा।

अमानत राशि / निविदा शुल्क / आरआईएसएल प्रोसेसिंग राशि का डी.डी. संघ कार्यालय में निर्धारित समयानुसार जमा करवाये बिना निविदा मान्य नहीं होगी।

(बाबूलाल विश्नोई)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी (वित्त एवं लेखा) / (पीएण्डआई), उरमूल बीकानेर।
2. जन सम्पर्क अधिकारी, उरमूल बीकानेर उक्त निविदा को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।
3. प्रभारी (कृ.सं.) / (एमआईएस), उरमूल बीकानेर।
4. प्रभारी, उरमूल इकाई – लूणकरनसर / छतरगढ / बज्जू / खाजूवाला को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त दुग्ध परिवहन अनुबन्धकों को सूचित कर निविदा में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करेंगे एवं निविदा का प्रचार–प्रसार करेंगे।
5. सूचना पट्ट, उरमूल भवन / समस्त उरमूल इकाई
6. कार्यालय / रक्षित पत्रावली

प्रबन्ध संचालक

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड
श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर

मार्गों का विवरण

क्र.सं.	इकाई	मार्ग का नाम	मार्ग संख्या	कि.मी. प्रातः पारी	कि.मी. सांय पारी	कुल कि.मी.
1	बीकानेर	धरनोक – बीकानेर	1	208	208	416
2	बीकानेर	सांईसर – बीकानेर	1बी(9)	200	–	200
3	बीकानेर	गजरूपदेसर – बीकानेर	2ए	100	100	200
4	बीकानेर	जसरासर – बीकानेर	3	190	190	380
5	बीकानेर	मसूरी – बीकानेर	3बी (13)	156	156	312
6	बीकानेर	जयसिंहदेसर मगरा– बीकानेर	4बी	175	175	350
7	बीकानेर	खारा–बीकानेर	5 बी (20)	179	179	358
8	बीकानेर	कावनी – बीकानेर	10	170	170	340
9	बीकानेर	हमेरा – बीकानेर	14	140	140	280
10	बीकानेर	केलां– बीकानेर	15	170	170	340
11	खाजूवाला	अलदीन– खाजूवाला	32 ए	110	103	213
12	खाजूवाला	बल्लर – खाजूवाला	32 बी	120	117	237
13	खाजूवाला	सम्मेवाला– खाजूवाला	52 ए	155	152	307
14	खाजूवाला	23 केएलडी – खाजूवाला	55	140	140	280
15	लूनकरणसर	डेलाना 3 डीएलडी – लूनकरणसर	24	135	100	235
16	लूनकरणसर	शेखसर – लूनकरणसर	41ए	210	210	420
17	लूनकरणसर	मेहराणा – लूनकरणसर	36बी	150	150	300
18	बज्जू	जग्गासर – बज्जू	35	150	150	300
19	बज्जू	मेडायत – शास्त्री नगर	36	100	100	200
20	बज्जू	गुलामवाला– रावत आबादी	37	130	130	260
21	बज्जू	नगरासर – तोपाड – मिठडिया	38	160	160	320
22	बज्जू	आरडी 945 – फुलासर बडा	39	140	140	280
23	बज्जू	जानूवाला–5 एमडीएम	40	131	131	262
24	बज्जू	5 डीएम – छिल्ला कश्मीर	41बी	150	150	300
25	बज्जू	जुगतसिंहपुरा – जागणवाला	42	170	170	340
26	बज्जू	आरडी 860 – बांगडसर	43	110	110	220
27	बज्जू	1 पीएचडी – फूलासर	44	186	186	372
28	बज्जू	बिठनोक–राणासर	45 बी	133	133	266
29	बज्जू	माणकासर–रूघनाथ सिंह की ढाणी	46	170	170	340
30	बज्जू	बरसलपुर – बज्जू	47	135	135	270
31	बज्जू	भलूरी – बज्जू	48	150	150	300
32	बज्जू	खिचडों की ढाणी – आरडी 860	49	150	–	150
33	बज्जू	लोईया – नोखडा	50	160	160	320
34	बज्जू	गिरराजपुर – बज्जू	51	120	120	240
35	बज्जू	अमरपुरा – बज्जू	52सी	180	180	360
36	बज्जू	खारिया पतावतान – बज्जू	53	180	–	180
37	छतरगढ	कृष्णनगर– सादोलाई	11 ए	185	185	370
38	छतरगढ	शेरपुरा – 3 आरजेडी	29 ए	95	95	190
39	छतरगढ	घेघडा – छतरगढ	29बी	82	82	164
40	छतरगढ	मैकेरी – गोगलीवाला	31	173	173	346
41	छतरगढ	5 एमकेएम –गणेशवाली – छतरगढ	31बी	165	165	330
42	छतरगढ	डण्डी – सतासर	33	142	142	284
43	छतरगढ	कुम्हारवाला – रसूलसर	52बी	199	199	398

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड
श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर

बीकानेर दुग्ध संघ में पिकअप सिविल दुग्ध परिवहन हेतु ई–निविदा **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है। अतिरिक्त एवं अधिक जानकारी www.bikaner.sarasmilkunions.in , http://sppp.rajasthan.gov.in व bikmu-rj@nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है।

निविदादाता का नवीनतम फोटो

निविदा–प्रत्र वर्ष 2024–26

भाग–अ

1. निविदा क्रमांक :	उरमूल / पीएण्डआई / 2023–24 / 12157–70 दिनांक : 15.02.2024
2. टेण्डर का नाम :	पिकअप सिविल दुग्ध परिवहन कार्य
3. निविदा पब्लिशिंग व डाउनलोडिंग की दिनांक व समय	दिनांक 17.02.2024 प्रातः 11.00 बजे
4. निविदा अपलोड करने की दिनांक व समय	दिनांक 17.02.2024 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 04.03.2024 प्रातः 11.00 बजे तक
5. निविदा खोलने की दिनांक व समय	दिनांक 04.03.2024 को दोपहर 2.00 बजे
6. डी.डी. / प्रपत्र जमा कराने की समय सीमा	दिनांक 19.02.2024 प्रातः 11.00 बजे दिनांक 04.03.2024 दोपहर 1.00 बजे तक

7. **दुग्ध अवशीतलन केन्द्र का नाम** ....

8. **दुग्ध मार्ग का नाम** .... **मार्ग संख्या** ....

9. टेण्डर देने वाले का नाम, ...
   पिता का नाम व पूरा पता ....
   टेलीफोन नं. एवं मोबाईल नम्बर ....

10. अमानत राशि का विवरण रू .... डी.डी. नं............... दिनांक.................
    (उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर के पक्ष में)

11. टेण्डर फीस रू .... डी.डी. नं............... दिनांक.................
    (उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि. बीकानेर के पक्ष में)

12. आरआईएसएल प्रोसेसिंग फीस रू .... डी.डी. नं............... दिनांक.................
    (MD, RISL, JAIPUR के पक्ष में)

13. स्थाई निवास का प्रमाण पत्र .... (छाया प्रति संलग्न करें)
14. मोबाइल नम्बर व अन्य सम्पर्क नम्बर ....
15. आयकर पैन नम्बर .... (छाया प्रति संलग्न करें)
16. पहचान प्रमाण पत्र .... (छाया प्रति संलग्न करें)
17. बैंकरों का नाम (RTGS Details (Account No, Branch Code, IFSC Code)
18. वाहन का मॉडल .... (वर्ष 2019 से कम नहीं होना चाहिये)
19. a) स्वयं के नाम वाहन होने की स्थिति में वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा की प्रति संलग्न करें।
    b) स्वयं के नाम से वाहन नहीं होने पर कम्पनी से वाहन क्रय करने का प्रफोर्मा इन्वाइस की प्रति संलग्न करें।
20. 100 रू के स्टाम्प पेपर पर निम्नानुसार I से V नोटेरी से प्रमाणित कर संलग्न करें।
    I- स्वयं / पत्नि / पुत्र / पुत्री / आश्रित का संघ से कोई सम्बन्ध नहीं है।
    II- स्वयं / पत्नि / पुत्र / पुत्री / आश्रित संघ में अध्यक्ष / संचालक मण्डल सदस्य / किसी समिति में अध्यक्ष / सचिव पद पर कार्यरत नहीं है।
    III- संघ द्वारा पूर्व में अयोग्य, ब्लेकलिस्टेड व न्यायालय से दिवालीया घोषित नहीं किया गया है।
    IV- संघ द्वारा पूर्व में मुझे असंतोष कार्य के कारण नहीं हटाया गया है।
    V- वर्तमान में मेरे द्वारा संघ के विरूद्व किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद नहीं चल रहा है
21. **निविदा प्रपत्र में लगे Annexure- A to D को भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

नोटः– 1. पूर्ण भरे हुये फार्म के "अ" भाग के साथ क्रम संख्या 10 से 21 तक दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। अ भाग की पूर्ति पूर्ण ना होने पर निविदा फार्म को निरस्त करते हुए भाग "ब" नहीं खोला जावेगा।

2. निविदा का तकनीकी भाग–अ पूर्ण पाये जाने पर ही निविदा का वित्तीय भाग–ब खोला जावेगा। (टेण्डर के साथ संलग्न दस्तावेजों की मूल प्रति टेण्डर खुलने के दौरान चैक करने हेतु प्रस्तुत करने होंगे)

उपरोक्त तीनों डी.डी. (अ) भाग खुलने से पूर्व निर्धारित समयानुसार संघ में जमा करवाने होंगे।

निविदा के साथ लगी समस्त शर्त पढ ली है एवं शर्तों से सहमत हूँ। शर्तों की स्वीकृति के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदा/अनुबन्ध की सामान्य शर्तें

1. **सामान्य शर्तें :-**

a. निवेदकों से ई-टेण्डर के माध्यम से ऑन-लाईन दरें वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क/ईएमडी/आरआईएसएल फीस व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट www.bikaner.sarasmilkunions.in, http://sppp.rajasthan.gov.in व bikmu-rj@nic.in पर उपलब्ध है।

b. सफल निविदाकार को आदेश में वर्णित दिनांक से कार्य नियमानुसार प्रारम्भ करना होगा। निर्धारित दिन कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

c. निविदाकार को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे तथा टेण्डर प्रपत्र में कहीं सुधार/दुरूस्ती या कांट-छांट होने पर प्रत्येक सुधार कांट-छांट पर अपने हस्ताक्षर सही रूप से सही अंकित कर निविदा प्रपत्र को ऑनलाईन अपलोड करने होंगे।

d. ऑनलाईन निविदा निश्चित समय एवं दिनांक को उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर के कार्यालय उरमूल भवन में टेण्डर कमेटी एवं निविदिकार/प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगा।

e. प्रत्येक मार्ग के अलग-अलग निविदा भरनी होगी व अलग-अलग निविदा दर देनी होगी।

f. भाग अ व ब ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर धारक द्वारा अपलोड किया जायेगा। भाग अ की समस्त पूर्तियां पूर्ण पाये जाने वाले निवेदकों का ही भाग ब खोला जायेगा।

g. निविदाकार द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु दर प्रति किलोमीटर भरनी होगी।

h. निविदा की दर शब्दों और अंकों में व्यक्त की जानी चाहिए और जहाँ दोनों के बीच कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसे में शब्दों में भरी गयी दर को अधिकृत दर माना जायेगा।

i. प्रबंध संचालक द्वारा निविदा को पूरी तरह से या किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का कारण/स्पष्टीकरण मांगने का हक निविदाकार को/उसके अधिकृत प्रतिनिधि को नहीं होगा।

j. भाग ब के लिये दर का अंकन एक्सेल फाईल में ही करें। दर देने से पूर्व समस्त शर्तों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं एक्सेल शीट में निविदादाता के नाम व दर के अंकन के अलावा किसी भी तरह का बदलाव/परिवर्धन स्वीकार्य नहीं है, यदि ऐसा पाया जाता है तो यह निविदा को निरस्त माना जायेगा।

k. प्रबंधन कम उद्वरण (First Lowest) को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

l. निविदाकार को अपने संगठन का पूरा ब्यौरा प्रदान करना होगा।

m. निविदाकार को प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों पर निरपवाद रूप में हस्ताक्षर करने होंगे।

n. उरमूल संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/अनुबंधित कार्मिक/समिति के अध्यक्ष/सचिव/संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं एवं उनके परिवार के निकटतम सदस्य निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

o. संघ द्वारा पूर्व में अयोग्य, ब्लेकलिस्टेड व न्यायालय से दिवालिया घोषित अथवा संघ द्वारा पूर्व में असंतोष कार्य के कारण हटाए गया हो ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

p. वर्तमान में अगर संघ के विरूद्व किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद चल रहा है तो ऐसी व्यक्ति अथवा फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

q. दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/प्रस्तावित समितियों का समूह निविदा में भाग नहीं ले सकेगा। स्वयं के वाहन से दुग्ध परिवहन करने वाली समितियों/प्रस्तावित समितियों के अध्यक्ष/सचिव निविदा में भाग नहीं ले सकेगा। क्रम संख्या n से q में उल्लेखित शर्तें 100/– के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

r. यदि कोई तथ्य निविदाकार द्वारा छिपाया जाता है एवं अनुबंध अवधि में सामने आता है तो अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

s. निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका कोई भी कार्मिक या ड्राईवर संयंत्र परिसर में पान, गुटका, बीडी, सिगरेट एवं शराब इत्यादि का सेवन नहीं करें। कोई भी कार्मिक या ड्राईवर ऐसा करता पाया गया तो पांच सौ (Rs. 500/- per day) की शास्ती बिल से वसूल की जावेगी।

t. किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सिफारिश निविदाकार को अयोग्य घोषित कर देगी तथा उस निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

u. यदि एक से अधिक निविदादाताओं की समान दरें आने पर व किसी भी मार्ग में दर असमान्य प्रतीत होती है तो नेगोशियेशन करने का अधिकार संघ को होगा।

v. निविदाकार की कोई भी शर्त इस निविदा में लिखी शर्तों के अलावा मान्य नहीं होगी।

w. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

2. <u>विशिष्ट शर्तें :</u>

i- निविदाकार अपना कार्य प्रारम्भ करेंगे उस समय खाली कैंने दी जाएगी जो समिति को देकर दुग्ध से भरकर सुबह व सांय डेयरी डॉक तक लाना होगा। साथ ही संघ द्वारा चाही गई वस्तुओं को लाना, ले जाना व समय–समय पर प्रेषित डाक–पत्र आदि निविदाकार लेकर जाएगा व समितियों/प्रस्तावित समितियों को पहुंचाएगा।

ii- (a) स्वयं के नाम का वाहन होने की स्थिति में वाहन का रजिस्ट्रेशन, फीटनेस, बीमा की प्रति संलग्न करें।

(b) स्वयं के नाम का वाहन नहीं होने पर कम्पनी से वाहन क्रय करने का प्रफोर्मा इन्वाइस की प्रति संलग्न करनी होगी।

iii- सफल निविदाकार को अपने स्तर पर वाहन में GPS System लगाना अनिवार्य होगा। GPS System के अनुसार ही किलोमीटर का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

iv- दुग्ध परिवहन हेतु उपलब्ध करवाया जाने वाला वाहन मैकेनिकल फिट कंडीशन एवं वर्ष 2019 से पहले का मॉडल नहीं होना चाहिए व राजस्थान सरकार द्वारा निविदा अवधि के दौरान वाहन मॉडल से सम्बन्धित संशोधन किया जाता है तो स्वतः ही राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश लागू होंगे जो अनुबन्धक को स्वीकार्य होंगे। निविदा में पिकअप सिविल वाहन के वाहन पंजीयन, फिटनेस एवं बीमा के दस्तावेज की प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक है।

v- सफल निविदादाता द्वारा वाहन के मालिकाना हक हेतु रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा के दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। अनुबन्धित वाहन स्वीकृत करने के पश्चात अनुबन्धक द्वारा बिना अनुमति किसी अन्य वाहन से दुग्ध परिवहन करता पाए जाने पर प्रतिदिन 2500/— (दो हजार पांच सौ रूपये) की शास्ति लगाई जावेगी। इसके पश्चात भी पुर्नरावृति होने पर निविदादाता द्वारा अनुबन्धित वाहन नहीं लगाया जाता है तो अनुबन्ध निरस्त कर धरोहर राशि व बकाया बिल राशि जब्त कर ली जावेगी तथा अनुबन्धक के रिस्क एण्ड कोस्ट पर संघ द्वारा वाहन की व्यवस्था की जावेगी।

vi- किसी भी सफल निविदादाता से वाहन के मालिकाना हक के सम्बन्ध में दिया गया इकरारनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इकरारनामा प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

vii-पिकअप सिविल में न्यूनतम 48 कैनें प्रति पारी दुग्ध परिवहन होंगें तथा इससे अधिक कैन आने पर कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा ।

viii-यदि किसी कारण से संघ परिवहन मार्ग पर अथवा किसी समिति से दुग्ध एकत्रित करना बंद कर दे तो ठेकेदार को अपनी गाड़ी को उस मार्ग पर अथवा समिति को या संघ कार्य के लिए चलाना बन्द कर देना होगा और इसके लिए कोई हर्जाना या प्रभार संघ अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा । संघ द्वारा पुनः वाहन मांगने की स्थिति में सात दिवस के नोटिस पर वाहन उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा संघ अनुबन्धक के रिस्क एण्ड कॉस्ट पर वाहन लगायेगा, जिसका अतिरिक्त खर्च अनुबन्धक से वसूल किया जाएगा।

ix- उपलब्ध करवाए गए वाहन के रास्ते में खराब होने की स्थिति में निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर से दूसरे वाहन से दुग्ध को संयंत्र तक पहुँचाने की व्यवस्था करनी होगी। उससे संघ या समितियों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी। क्षतिपूर्ति की रकम ठेकेदार को मिलने वाली पाक्षिक रकम् परिवहन बिल में से वसूल करने का संघ को पूर्ण अधिकार होगा।

x- सफल निविदाकार को पिकअप सिविल से उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर (उरमूल, बीकानेर) द्वारा निर्धारित मार्गों की विभिन्न सहकारी समितियों व प्रस्तावित समितियों से समय सारिणी अनुसार दुग्ध उठाना होगा एवं उरमूल डेयरी संयंत्र, बीकानेर/इकाई संयंत्र पर पहुँचाना होगा। संघ की आवश्यकतानुसार समितियों, मार्ग व समय सारिणी में परिवर्तन का अधिकार संघ को होगा।

(1) ठेकेदार द्वारा दुग्ध नहीं उठाने/छोड़ने पर क्षतिपूर्ति सिटी सेल स्टेण्डर्ड दुग्ध की प्रचलित बाजार बिक्री दर से होगी ।

(2) निर्धारित समय पर वाहन डेयरी डॉक पहुंचने पर अच्छा दुग्ध खट्टा/दही होने पर कोई क्षतिपूर्ति वसूली नहीं होगी ।

(3) निर्धारित समय से विलम्ब से पहुंचने पर अच्छा दुग्ध होने के बावजूद निम्नानुसार शास्ति लगाई जावेगी

(अ) 0 से 15 मिनट तक शास्ति शुन्य

(ब) 16 से 30 मिनट तक शास्ति 500/– रूपये लगाई जायेगी।

(स) 31 से 60 मिनट तक शास्ति 1000/– रूपये लगाई जायेगी ।

(द) 61 मिनट से अधिक लेट आने पर 1500/– शास्ति लगाई जायेगी ।

(य)खट्टा/दही होने पर सिटी सेल स्टेण्डर्ड दुग्ध की प्रचलित बाजार बिकी दर से वसूली होगी

(4) दुग्ध कैन/ढक्कन क्षति होने या कम होने या न लौटाने पर क्षतिपूर्ति कैन की कीमत एल्यूमिनियम कैन ढक्कन सहित रूपये संघ दर से वसूल की जावेगी ।

xi- ठेकेदार को संघ के प्रतिनिधि एवं संघ द्वारा अधिकृत सामान जो समितियों पर लाना व ले जाना होगा, पिकअप में अनाधिकृत सवारी व प्राईवेट पशु आहार, ऊन का बोरा व अन्य सामान ठेकेदार परिवहन नहीं करेगा। ऐसा परिवहन करते पाए जाने पर एक ट्रिप व रूपये 150/– प्रति सवारी व 300/– प्रति ऊन बोरा/अन्य सामान की बोरी की कटौति की जावेगी, लगातार दो बार ऐसा करने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि मय बकाया बिल वसूली, जब्त करने का अधिकार संघ को होगा जिसके लिए ठेकेदार स्वयं व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगा।

xii-निविदाकार द्वारा नियोजित श्रमिक कारखाना अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम एवं राज्य बीमा अधिनियम, परिवहन अधिनियम के प्रावधानों से शासित होंगे एवं ठेकेदार स्वयं इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड रखने एवं उनकी पालना के लिये उत्तरदायी होगा। दुग्ध संघ द्वारा मांगे जाने पर रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा।

xiii-निविदाकार अपने स्वीकृत ठेके को अन्य ठेकेदार को सबलेट नहीं करेगा । ठेका सबलेट हेतु संघ की अनुमति पर रूपये 20,000/– ठेका हस्तान्तरण शुल्क देना होगा जो वापिस नहीं दिया जायेगा। हस्तान्तरित करवाने वाले ठेकेदार को वाहन का मालिकाना हक (आर.सी.) प्रस्तुत करनी होगी। बिना अनुमति के ठेका सबलेट करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है ।

xiv-प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, विदेशी आक्रमण से होने वाली हानि ठेकेदार व संघ 50–50 प्रतिशत वहन करेंगे।

xv- (अ) संघ को यह अधिकार होगा कि मार्ग की समितियों की संख्या घटाने या बढ़ाने या एक मार्ग की समितियों/प्रस्तावित समितियों को किसी दूसरे परिवहन मार्ग में शामिल करें अथवा निकालें या मार्ग में किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन करें ।

(ब) संघ द्वारा मार्ग को फीडर करने अथवा दुग्ध पहुंचाने के व लाने के स्थान में परिवर्तन करने अथवा दुग्ध संकलन एक पारी में कराये जाने पर भी कोई अतिरिक्त दर देय नहीं होगी । भुगतान स्वीकृत दर पर ही किया जायेगा ।

(स) मार्ग में प्रति पारी 500 किग्रा मासिक औसत दुग्ध परिवहन किया जाना आवश्यक होगा, 500 किग्रा प्रति पारी मासिक औसत से कम दुग्ध आने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

xvi- निविदाकार को संघ का पशुआहार समितियों/प्रस्तावित समितियों तक परिवहन संघ द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा।

xvii- यदि ठेकेदार संघ की अनुमति बिना समितियों को गलत सूचना देकर समितियों पर दुग्ध संकलन बन्द करवा देता हो तो स्वयं द्वारा दुग्ध परिवहन नहीं करने पर समितियों द्वारा दिये जाने वाले दुग्ध की मात्रा पर सीटी सेल स्टेन्डर्ड पर प्रति कि.ग्रा. अतिरिक्त राशि की कटौती ठेकेदार से की जाएगी जो पिछले तीन दिन के औसतन दुग्ध पर होगी ।

xviii-ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को रूपये 100 + जीएसटी जमा करवाकर संघ का नाम मात्र सदस्य बनना होगा ।

xix- निविदा अवधि के बीच में कार्य छोड़ने पर संघ द्वारा अस्थाई वाहन की व्यवस्था करने पर अन्तर राशि की वसूली ठेकेदार से की जाएगी । ठेकेदार की धरोहर राशि व बकाया बिल की राशि जब्त कर ली जाएगी ।

xx- अनुबन्ध की अवधि समाप्ति पर वाहन ठेकेदार को समस्त समितियों/केन्द्रों से अन्तिम बिल के साथ बकाया नही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इसके बाद ही अन्तिम बिल के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी एवं धरोहर राशि संघ द्वारा लौटायी जा सकेगी । तीन माह तक बकाया नहीं प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर अन्तिम भुगतान बिल व धरोहर राशि देय नहीं होगी ।

xxi- दुग्ध परिवहन हेतु कच्चा मार्ग 2 मिनट एवं डाम्बर रोड़ 1.5 मिनट प्रति कि.मी. दिया जायेगा ।

xxii- यदि वाहन से किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को, परिवहन कार्य के दौरान कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उसकी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

xxiii-यदि ठेकेदार के वाहन पर कार्य करने वाले या ठेकेदार के अन्य कर्मचारी के सम्बन्ध में सरकारी नियमों व कानूनों के कारण दायित्व सेवा नियोजक पर आता हो तो ऐसे दायित्व का निर्वाह ठेकेदार करेगा ।

xxiv- मार्ग में ट्रक दुर्घटना होने पर, लूटमार, आकस्मिक दुर्घटना से दुग्ध समितियों/प्रस्तावित समितियों अथवा संघ के किसी अन्य सामान की क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति दुग्ध व अन्य वस्तुओं का वास्तिविक मूल्यों की ठेकेदार से वसूली की जाएगी।

xxv- वाहन के रख–रखाव, डीजल, आयल, समस्त प्रकार के टैक्स/टोल टैक्स का भुगतान व ड्राईवर, खलासी का वेतन आदि हर स्थिति में अपने खर्चे पर निविदाकार को करना होगा।

xxvi- ठेकेदार को अनुबन्धित दुग्ध परिवहन वाहन पर उरमूल से अनुबन्धित तथा दुग्ध बिक्री के लिए नहीं निर्धारित संकेत रंग से पेंट/लिखवाना होगा ।

xxvii- सफल निविदाकार को फूड एण्ड सेफ्टी लाईसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

xxviii- यदि कोई समिति/प्रस्तावित समिति अपने स्तर पर संघ को बिना पूर्व सूचना के संकलन बन्द करती है तो तीन दिन बाद स्वतः ही बन्द मानी जायेगी । परिवहन ठेकेदार द्वारा तीन दिन के बाद समिति पर वाहन भेजे जाने पर कि.मी. की कटौती कर ली जायेगी अर्थात तीन दिन पश्चात बन्द समिति के किलोमीटर देय नहीं होंगे।

xxix- ठेकेदार फैट स्लिप, चालान एवं दुग्ध बिल इत्यादि नियमित रूप से डेयरी/दुग्ध अवशीतलन केन्द्रों से प्राप्त कर निर्धारित समय पर समिति को पहुंचायेगा, नही पहुंचाने पर 500 रू की शास्ती लगाई जावेगी।

xxx- निविदा स्वीकृत होने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू 100/– नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मेरे नाम से 10 से अधिक व्यावसायिक वाहन लीज पर या अनुबन्ध अन्तर्गत नहीं है का घोषणा पत्र देना होगा।

xxxi- आवश्यकता होने पर संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को वाहन के साथ दुग्ध परिवहन के मार्ग पर साथ ले जाना आवश्यक होगा।

xxxii- निविदा में उल्लेखित शर्तों के आधार पर एक अनुबन्ध 1000 रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर किया जावेगा, जिसका प्रारूप सफल निविदाकार को संघ द्वारा उपलब्ध करवा दिया जायेगा। जो इस निविदा में लिखी सभी शर्तों के अनुबन्ध का भाग माना जावेगा। नोटेरी से अनुबन्धनामा को दर्ज करवाकर प्रमाणित करवाना होगा।

xxxiii- निविदा अवधि में किसी विषम परिस्थिति एवं स्वीकृत निविदादाता का देहावसान होने की दशा में उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति के नाम अनुबन्ध की शेष अवधि संघ की सहमति से हस्तान्तरित किया जा सकता है। अतः स्वीकृत निविदादाता को उत्तराधिकारी/नामित व्यक्ति के नाम मनोनयन पत्र रूपये 500/– (रू पांच सौ मात्र) के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध के समय नोटेरी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। मनोनयन पत्र (उत्तराधिकारी प्रपत्र) अनुसार नामित व्यक्ति के हक अनुबन्ध हस्तान्तरण संघ में 1000/– (रू एक हजार मात्र) जमा करवाकर हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

xxxiv- निविदादाता का स्वयं का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं होने स्थिति में आयकर विभाग की ओर से यदि कोई शास्ति अथवा दायित्व उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता/अनुबन्धकर्ता की होगी।

xxxv- समस्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अधीन रहेगा।

3. **प्रस्ताव की वैधता :**

निविदाकार द्वारा भरी गई दरें हालांकि दो वर्ष के लिए होंगी परन्तु डीजल की दरों में सरकारी तेल क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा प्रतिदिन कमी/वृद्धि होने पर तीन–तीन माह (त्रैमासिक) से अनुपातिक वृद्धि/कमी 10 किमी किलोमीटर प्रति लीटर के आधार पर ही दुग्ध परिवहन की दरों में संघ द्वारा संशोधन किया जाएगा।

यह निविदा स्वीकृति दिनांक से दो वर्ष के लिए मान्य होगी एवं प्रबंध संचालक, उरमूल बीकानेर को यह अधिकार होगा की वह तीन माह या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने की अवधि (जो पहले हो) तक के लिए अनुबंध अवधि बढ़ा सकेगा जो कि सफल निविदाकार को मानना कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त उरमूल संघ बीकानेर व सफल निविदाकार की आपसी सहमति से इन्ही शर्तों पर समयावधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी।

4. अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) :

निविदा में भाग लेने वाले निविदाकारों को अमानत राशि के रूप में रूपये तीस हजार (Rs. 30,000/-) जमा करवाने होंगे जो कि निविदा को अंतिम रूप देने के बाद सफल निविदाकार को छोडकर अन्यों को सामान्यतः 4 माह में लौटा दिए जायेंगे। बिना अमानत राशि के निविदा अस्वीकार मानी जावेगी। **पूर्व में जमा राशि का समायोजन अमानत राशि के रूप में नहीं किया जा सकेगा।**

5. धरोहर राशि (सिक्यूरिटी राशि) :

सफल निविदाकार की अमानत राशि रूपये तीस हजार (Rs. 30,000/–) धरोहर राशि के रूप में संघ में समायोजित कर लिये जावेंगे एवं धरोहर राशि पेटे रू साठ हजार (Rs. 60,000/–) दुग्ध परिवहन बिलों से कटौति की जावेगी। इस प्रकार कुल राशि रू नब्बे हजार (रू 90,000) धरोहर राशि संघ के पास जमा रहेगी।

जमा धरोहर राशि ठेका अवधि समाप्त होने के बाद हिसाब करने के पश्चात बकाया क्षतिपूर्ति आदि की रकम काट कर वापस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. कार्य में लापरवाही पर जुर्माना :

a- किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर की निविदाकार द्वारा संतोषप्रद तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है अथवा निविदाकार या उसके द्वारा नियोजित ड्राईवर/खलासी द्वारा संघ के अधिकारी/कर्मचारी/संघ में लगे व्यक्ति आदि के साथ अभद्र/दुर्व्यवहार करने की स्थिति में प्रबन्ध संचालक, उरमूल बीकानेर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा दण्ड के रूप में आर्थिक जुर्माना जो भी ठीक समझा जायेगा, लगाया जायेगा। निविदा शर्तों का बार–बार उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

b- निविदाकार का कोई भी कार्मिक/ड्राईवर द्वारा संघ की परिसम्पति को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना पाया गया तो उससे होने वाली हानि की बीस गुना वसूली निविदाकार के बिल से की जावेगी। दुग्ध की पुनः चोरी करते हुए पकडे जाने पर टेण्डर निरस्त कर धरोहर राशि व बकाया बिल की राशि जब्त कर ली जावेगी व ठेकेदार को ब्लेकलिस्टेड घोषित कर दिया जावेगा।

c- अनुबन्धक को जारी समय सारिणी के अतिरिक्त किसी अन्य मार्गों की समिति एवं प्रस्तावित समिति एवं प्राईवेट डेयरियों, पार्टियों की कैनों का दुग्ध परिवहन करता पाए जाने पर 5000/– (पांच हजार रू) शास्ती लगाई जाएगी तथा पुनरावृति करते पाए जाने पर अनुबन्धक का अनुबन्ध निरस्त कर बकाया बिल एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा रिस्क एण्ड कोस्ट पर संघ द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जावेगी।

d- संघ की कैनों में पानी रखने पर रूपये 300/– जुर्माना के साथ एक ट्रिप की कटौति की जायेगी। किसी भी कैन आदि में डीजल, ऑयल व किसी प्रकार के दुरूपयोग किये जाने पर 300/– हर्जाना वसूल किया जायेगा।

e- गर्मियों के मौसम में माह मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई व अगस्त में वाहन ठेकेदार को दुग्ध से भरी कैनों पर पल्ली/तिरपाल डालकर लाना होगा ताकि दुग्ध खराब होने से बचाया जा सके। इसके अभाव में प्रति पारी रूपये 500/– जुर्माना किया जायेगा।

7. <u>अनुबन्ध को रद्द करना :</u>

सफल निविदाकार को जारी किये गये कार्य आदेश को निरस्त कर अनुबंध को रद्द करने का अधिकार प्रबंध संचालक, उरमूल बीकानेर को होगा अगर :

a- निविदाकार द्वारा निविदा की किसी भी शर्त या नियम का उल्लंघन किया गया हो।

b- निविदाकार परिसमापन (liquidation) में स्वेच्छा से या अन्यथा चला जाता है।

c- निविदाकार किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य किसी दुग्ध व्यवसाय से जुडा है ।

ऐसी स्थिति में निविदाकार की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

d- आर.टी.टी.पी. एक्ट के अपील के प्रावधानों के अनुसार प्रथम अपिलीय एथोरिटी प्रबन्ध संचालक, उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर है एवं द्वितीय अपिलीय एथोरिटी प्रबन्ध संचालक, आर.सी.डी.एफ. लि., जयपुर या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे।

e- यदि निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है या दर स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि में उपापन संविदा पर हस्ताक्षर अथवा अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वांछित दस्तावेज देने में विफल रहता है तो उसकी अमान राशि जब्त कर ली जायेगी। संघ को ऐस मामलों में उपापन प्रक्रिया को रद्द करने अथवा कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अगले न्यूनतम बोलीदाता अथवा सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को प्रस्ताव देने का अधिकार होगा।

f- निविदाकार द्वारा निर्धारित समय के लिए कार्य को जारी रखने में असमर्थता दिखाने पर एवं अनुबंध पत्र एवं सम्बन्धित मामलों को पूर्ण न करने पर या किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न करने पर निविदा निरस्त कर समस्त जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. <u>भुगतान शर्तें :</u>

a. निविदाकार को अपना अर्द्धमासिक बिल तीन प्रतियों में आगामी पक्ष के प्रथम सात दिवस में देना होगा । प्रत्येक माह के द्वितीय अर्द्धमासिक बिल के साथ ठेकेदार को समिति से बकाया नहीं प्रमाण पत्र (समिति की मोहर **व अध्यक्ष/सचिव के मोबाईल नम्बर** सहित) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा । सात दिवस उपरान्त बिल एवं मासिक नो–ड्यूज प्रस्तुत नहीं करने पर रू 100/– प्रति सप्ताह प्रति बिल शास्ती लगाई जावेगी। भुगतान सामान्यतया बिल लेखा शाखा में प्रस्तुत होने के 15 दिनों में किया जायेगा।

b. भुगतान बैंक के माध्यम RTGS / NEFT से किया जाएगा।

c. निविदाकार के बिल से नियमानुसार आयकर एवं अन्य कटौतियां की जावेगी।

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

निविदाकार के हस्ताक्षर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

निविदाकार के हस्ताक्षर

Doc1

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Docl

निविदाकार के हस्ताक्षर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

निविदाकार के हस्ताक्षर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

निविदाकार के हस्ताक्षर

Doc1

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

निविदाकार के हस्ताक्षर

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदाकार के हस्ताक्षर